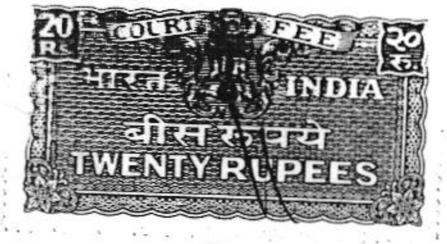

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर
केंप उज्जैन

प्रकरण कं0 /2013 निगरानी

श्री प्रताप मेहता अभि० द्वारा उज्जैन केम्प पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया
10/4/13
(हस्ता.)

R-1575-PBR/13

प्रभुलाल पिता भुराजी जाति–गुजर , निवासी–ग्राम हाटपिपलिया तह. जावरा जिला रतलाम

..................आवेदक

विरूद्व

1. रतनबााई पति भूराजी निवासी–ग्राम फर्नाजी तह. खाचरोद जिला उज्जैन
2. राजुबाई पिता भूरा जी निवासी–ग्राम अरनियागुज्र तह. जावरा जिला रतलाम
3. लीलाबाई पिता भूराजी निवासी–ग्राम पेलादडी तह. जावरा जिला रतलाम
4. रामसिंह पिता भूराजी निवासी–ग्राम फर्नाजी तह. खाचरोद जिला उज्जैन
5. चेनसिंह पिता भूराजी निवासी–ग्राम हाटपिपलिया तह. जावरा जिला रतलाम

.............अनावेदकगण

18-4-13

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय जावरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/अपील/2011–12 मे दिनांक 04.02.2013 को अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 अवधि विधान को स्वीकार करने से असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर निम्नलिखित निगरानी आवेदन पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत हैं :–

01. **यह कि**, अनावदेक कमांक 1 ,2,3 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जावरा के यहां पर मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 की तहत नायब तहसीलदार जावरा के पारित आदेश दिनांक 10/02/2011 से अंसतुष्ट होकर प्रस्तुत की हैं। **अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पाडेंट कमांक 1 2 3 का धारा 5 अवधि विधान का** स्वीकार कर लिया गया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर निम्न आधारों पर यह

(3)

(3) XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1575-पीबीआर/13 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप मेहता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। (3) **प्रशासकीय सदस्य**	